संख्या-798/2026/785/22-2-2026-17(393)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संग्राम सिंह पुत्र श्री आशाराम यादव, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13928/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-26.03.2026, दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संग्राम सिंह पुत्र श्री आशाराम यादव, जो मिलान, कस्बा व थाना-बरूआसागर, जनपद-झांसी का निवासी है। बन्दी द्वारा बालू के ठेके की अधिक बोली लगाकर अपने नाम किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 26.09.1993 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें, राइफल, कट्टा व हथगोला से मारकर सुनील नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/1996, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 504, 302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-04, झाँसी के दण्डादेश दिनांक 12.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 05 माह 27 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किये जाने की पूर्णतयः सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल से रिहा होने के बाद वादी व साक्षियों के साथ घोर उपहति करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी संग्राम सिंह पुत्र आशाराम यादव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 23.12.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 15 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा समयपूर्व रिहाई

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

की सस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संग्राम सिंह (बन्दी संख्या-571/2018) पुत्र श्री आशाराम यादव, निवासी जनपद-झांसी की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-798/2026/785(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।